

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-१
संख्या— /III(1)/ १८-४६(अधिकार) /०९, टीसी-४(१)
देहरादून, दिनांक १३ अगस्त, २०१८

—: कार्यालय झाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम, २०१७ के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक ०४.०८.२०१८ द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-२१०/XXX(२)/१८, दिनांक २५.०७.२०१८ के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-२७ में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तत्कालिक प्रभाव से उनके नाम के समुख कॉलम-५ में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
१	२	३	४	५
१.	श्री सुरेश चन्द्र जोशी, सहायक अभियन्ता	क्षेत्रीय कार्यालय, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, गुप्तकाशी ढीड़ीएमए रुद्रप्रयाग	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत

- सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेपित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव

संख्या ११५५ /III(1)/ १८-४६(अधिकार) /०९, टीसी-४(१), तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित।

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-१/स्तर-२, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
- सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप मोहन नौटियाल)
अनु सचिव



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

Web- <http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail- eicpwduk@nic.in

पत्रांक:- 1851 / 35व्यक्तिा० / 18

दिनांक:- १५ / ०८ / २०१८

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा / पौड़ी।
2. संबंधित कोषाधिकारी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम / ८वाँ वृत्त, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा / गोपेश्वर।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, गुप्तकाशी डीडीएमए रुद्रप्रयाग।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत।
6. श्री सुरेश चन्द्र जोशी, सहायक अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा।
7. आई०टी० हैंड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून को वेब साइट पर अपडेट करने हेतु।
8. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली।

*C/Almora
15/08/18*
प्रमुख अभियन्ता (अल्मोड़ा)
विभागाध्यक्ष, कार्यालय
विभागाध्यक्ष, देहरादून
लो०नि०वि०

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-१
संख्या- /III(1)/18-46(अधिकारी)/09, दीसी-4(1)
देहरादून, दिनांक / ३ अगस्त, 2018

-: कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तत्कालिक प्रभाव से उनके नाम के समुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री विनोद प्रसाद डोबरियाल, सहायक अभियन्ता	रामारोड़, लोनिविठ० बड़कोट	चतुर्थ वृत्त, लोनिविठ० ऊधमसिंहनगर	पी०ए०जी०ए०स०वाई० खण्ड, लोनिविठ० कीर्तिनगर


- सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जनपद के द्वारिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव

संख्या १५७ /III(1)/18-46(अधिकारी)/09, दीसी-4(1), तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
- सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(प्रदीप मोहन नौटियाल)
अनु सचिव



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

E-Mail-eicpwd.uk@nic.in

Web- <http://pwd.uk.gov.in>

पत्रांक:- 1853 / 35व्यक्ति-सा० / 18

दिनांक:- १५ / ०८ / २०१८

प्रतिलिपि दिनलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित नियत्रंक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी की कार्यमुक्ति / योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय / पी०एम०जी०एस०वाई० / रा०मा० कार्यालय, लो०नि०वि०, हल्दानी / देहरादून।
2. संबंधित कोषाधिकारी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ / १०वां रा०मा० / पी०एम०जी०एस०वाई० वृत्त, लो०नि०वि०, ऊधमसिंहनगर / देहरादून / श्रीनगर।
4. अधिशासी अभियन्ता, रा०मा० / पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, बड़कोट / कीर्तिनगर।
5. श्री विनोद प्रसाद छोबरियाल, सहायक अभियन्ता, रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०, बड़कोट।
6. आई०टी० हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून को वेब साइट पर अपडेट करने हेतु।
7. गार्ड / व्यक्तिगत पत्रावली।

[Signature]
लो०नि०वि० कार्यालय कार्यालय
विभागाध्यक्ष, कार्यालय
लो०नि०वि० कार्यालय
[Signature]

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-१
संख्या- /III(1)/18-46(अधिकारी)/09, टीसी-4(1)
देहरादून, दिनांक । ३ अगस्त, 2018

-: कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तत्कालिक प्रभाव से उनके नाम के समुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री जगन्नाथ पटवाल, सहायक अभियन्ता	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, पौड़ी	कार्यालय मुख्य अभियन्ता पी०ए०जी०ए०स०वाई०, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा	पी०ए०जी०ए०स०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, कीर्तिनगर

- सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित जनपद के वसिष्ठ/कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव

संख्या ॥५० /III(1)/18-46(अधिकारी)/09, टीसी-4(1), तददिनांक।
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर मुख्य सचिव/सचिव, मारो मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
- सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप मोहन नौटियाल)
अनु सचिव



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

E-Mail-eicpwd.uk@nic.in

Web- <http://pwd.uk.gov.in>

पत्रांक:- 1854 / 35व्यक्ति-सा० / 18

दिनांक:- १५ / 08 / 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित नियन्त्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय / पी०एम०जी०एस०वाई० कार्यालय, लो०नि०वि०, पौड़ी / अल्मोड़ा / देहरादून।
2. संबंधित कोषाधिकारी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, 12वां / पी०एम०जी०एस०वाई० वृत्त, लो०नि०वि०, पौड़ी / श्रीनगर।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण / पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, पौड़ी / कीर्तिनगर।
5. श्री जगन्नार्थ पटवाल, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, पौड़ी।
6. आई०टी० हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून को वेब साइट पर अपडेट करने हेतु।
7. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड, देहरादून
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून
15-08-2018

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अभियन्ता
संख्या— / III(1) / 18-46(अधिग्र.) / 09, टीसी-4(1)
देहरादून, दिनांक / 3 अगस्त, 2018

—: कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विद्यारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के समुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री प्रभुलाल डोभाल, सहायक अभियन्ता	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, चकराता	क्षेत्रीय कार्यालय, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, चकराता

- सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव

संख्या 1159 / III(1) / 18-46(अधिग्र.) / 09, टीसी-4(1), तददिनांक।
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
- सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप सोहन नौटियाल)
अनु सचिव



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

E-Mail-eicpwd.uk@nic.in

Web- <http://pwd.uk.gov.in>

पत्रांक:- 1855 / 35व्यक्ति-सा० / 18

दिनांक:- 14 / 08 / 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून/अल्मोड़ा।
2. संबंधित कोषाधिकारी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, ब्रांव वृत्त, लो०नि०वि०, देहरादून।
4. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, चक्राता।
5. श्री प्रभुलाल डोभाल, सहायक अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, चक्राता।
6. आई०टी० हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून को वेब साइट पर अपडेट करने हेतु।
7. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली।

[Signature]
ए. निलौ प्रभुलाल (विभागाध्यक्ष)
उत्तराखण्ड अवृ. अधिकारी सभा
न्यूट्रिक विभाग, निजामान, दै।
[Signature]

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-१
संख्या— /III(1)/18-46(अधिव) /09, टीसी-4(1)
देहरादून, दिनांक 13 अगस्त, 2018

—: कार्यालय ज्ञाप :—

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनाति किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री नरेश चन्द्र, प्र० सहायक अभिव०	पी०ए०जी०ए०व०५० खण्ड, ल००नि०वि०, काठगोदाम	विश्व बैंक खण्ड, ल००नि०वि०, चम्पावत	पी०ए०जी०ए०व०५० खण्ड, ल००नि०वि०, द्वाराहाट

- सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव

संख्या 1153 /III(1)/18-46(अधिव) /09, टीसी-4(1), तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1 /स्तर-2, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
- सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
- गार्ड फाईल।

आड़ा से,

(प्रदीप मोहन नौटियाल)
अनु सचिव

1849
14-08-18



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

E-Mail-eicpwd.uk@nic.in

Web- <http://pwd.uk.gov.in>

पत्रांक:- 1849 / 35व्यक्ति-सा० / 18

दिनांक:- १५ / 08 / 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें—

1. मुख्य अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० / विश्व बैंक लो०नि०वि०, अल्मोड़ा / देहरादून।
2. संबंधित कोषाधिकारी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० / विश्व बैंक वृत्त, लो०नि०वि०, ज्योलीकोट / पिथौरागढ़।
4. अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० / विश्व बैंक खण्ड, लो०नि०वि०, काठगोदाम / द्वाराहाट / चम्पावत।
5. श्री नरेश चन्द्र, प्रभारी सहायक अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, काठगोदाम।
6. आई०टी० हैंड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून को वेब साइट पर अपडेट करने हेतु।
7. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली।

Yours
प्रभारी
विभागाध्यक्ष का द्वारा
विभागाध्यक्ष का द्वारा

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-१
संख्या— /III(1)/ १८-४६(अधिक) /०९, टीसी-४(१)
देहरादून, दिनांक १३ अगस्त, २०१८

—: कार्यालय ज्ञाप :—

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक ०४.०८.२०१८ द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-२१०/XXX(२)/१८, दिनांक २५.०७.२०१८ के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-२७ में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तत्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-५ में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
१	२	३	४	५
१.	श्री के०एस० रावत, सहायक अभियन्ता	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, चम्बा	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा	विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून

- सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव

संख्या १८६ /III(1)/ १८-४६(अधिक) /०९, टीसी-४(१), तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-१/स्तर-२, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
- सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप मोहन नौटियाल)
अनु सचिव



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

E-Mail- cicpwduk@nic.in

Web- <http://pwd.uk.gov.in>

पत्रांक:- 1850 / 35व्यक्ति-सा०/१८

दिनांक:- १५ / ०८ / २०१८

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी की कार्यमुक्त / योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

1. प्रमुख अभियन्ता महोदय के संज्ञानार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता (मु०), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून।
3. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो०नि०वि०, टिहरी/अल्मोड़ा।
4. संबंधित कोषाधिकारी।
5. मुख्य कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, ढालनवाला, देहरादून।
6. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम/८वां वृत्त, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा/टिहरी।
7. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण/प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, चम्बा/अल्मोड़ा।
8. श्री के०एस० रावत, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, चम्बा।
9. आई०टी० है०, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून को वेब साइट पर अपडेट करने हेतु।
10. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (अधिकारी)
प्रमुख
निर्माण खण्ड
कार्यालय
देहरादून

उत्तराखण्ड शासन

लोक निर्माण अनुभाग-१

संख्या— /III(1)/18-46(अधिक) /2009 टीसी०-बी- ॥
देहरादून, दिनांक 13 अगस्त, 2018

—: कार्यालय ज्ञाप :—

प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा अपने कार्यालय ज्ञाप संख्या-1688 /34व्यक-स्था०-सा०/ 18, दिनांक 24.07.2018 के माध्यम से लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभाग में सम्बद्ध कार्मिकों को अपने मूल तैनाती के कार्यालय में योगदान करने के आदेश परित किये गये। उक्त के क्रम में श्री कमल किशोर उनियाल, प्रभारी सहायक अभियन्ता जो निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून में सम्बद्ध हैं, को उनके द्वारा प्रचलित महत्वपूर्ण कार्यों को देखते हुये उनकी सम्बद्धता मात्र माह मार्च, 2019 तक के लिए निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून में यथावत् बनाये रखा जाता है।

उक्त अवधि के पश्चात् श्री कमल किशोर उनियाल, प्रभारी सहायक अभियन्ता स्वतः ही कार्यमुक्त समझे जायेंगे।

(प्रदीप सिंह रावत)

अपर सचिव

संख्या 1109 /III(1)/17-46(अधिक) /2009 टीसी०-बी- ॥, तददिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी / कोषाधिकारी।
5. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-1 / स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता।
7. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

प्रदीप
सिंह

(प्रदीप मोहन नौटियाल)
अनु सचिव

1845
14-08-18



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

Web- <http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांक:- 1845 / 35व्यक्तिा० / 18

दिनांक:- १५ / ०८ / २०१८

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित नियत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून।
2. संबंधित कोषाधिकारी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, ७वां वृत्त, लो०नि०वि०, देहरादून।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण/अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून/घकराता।
5. श्री कमल किशोर उनियाल, प्रभारी सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून।
6. आई०टी० हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून को वेब साइट पर अपडेट करने हेतु।
7. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली।

ज्ञाता
प्रमुख
व्यवस्थापन
कार्यालय
देहरादून
उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-१
संख्या— /III(1)/18-46(अधिक) /09टीसी०-३
देहरादून, दिनांक १३ अगस्त, २०१८

—: कार्यालय ज्ञाप :—

प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1470/35व्यक-सा०/17, दिनांक 20.07.2017 के द्वारा श्री नवीन कौशिक, प्रभारी सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रुडकी का स्थानान्तरण निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बैजरों में किया गया था। श्री कौशिक के पुत्र के ब्लड कैंसर के प्रचलित उपचार को दृष्टिगत रखते हुये शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1537/46(अधिक) /टीसी०-३, दिनांक 25.10.2017 के द्वारा श्री कौशिक को दिनांक 31.03.2018 तक के लिए निर्माण खण्ड, रुडकी में यथावत् बनाये रखे जाने के आदेश पारित किये गये। तदोपरान्त श्री कौशिक द्वारा पुनः अपने पुत्र के ब्लड कैंसर होने सम्बन्धी राज्य चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हुये उनका स्थानान्तरण निरस्त करने का अनुरोध किया गया। तदक्रम में प्रमुख अभियन्ता द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.06.2018 के द्वारा श्री नवीन कौशिक का बैजरों में किये गये स्थानान्तरण को निरस्त कर निर्माण खण्ड, रुडकी में ही बनाये रखे जाने का प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत किया गया।

अतः उक्त के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा श्री नवीन कौशिक के पूर्व में निर्माण खण्ड, बैजरों में किये गये स्थानान्तरण को निरस्त करते हुये श्री नवीन कौशिक, प्रभारी सहायक अभियन्ता को निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुडकी में ही यथावत् बनाये रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव

संख्या ॥५० /III(1)/18-46(अधिक) /09टीसी०-३, तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-१/स्तर-२, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
- सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
- गार्ड फार्झल।

आज्ञा से

(प्रदीप मोहन नौटियाल)
अनु सचिव



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

E-Mail-eicpwd.uk@nic.in

Web- <http://pwd.uk.gov.in>

पत्रांक:- 1846 / 35व्यक्ति-सा० / 18

दिनांक:- 14 / 08 / 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित नियत्रक अधिकारी
स्थानान्तरित अधिकारी की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-गेल के माध्यम से इस
कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें—

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून / पौँडी।
2. संबंधित कोषाधिकारी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल / 12वां वृत्त, लो०नि०वि०, हरिद्वार / पौँडी।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रुड़की / बैजरों।
5. श्री नवीन कौशिक, प्रभारी सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रुड़की।
6. आई०टी० हैंड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून को वेब साइट पर अपडेट करने हेतु।
7. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली।

[Signature]
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (प्रमाणित)
दिन: 14/08/2018
द्वारा: [Signature]
[Signature]

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-1
संख्या- 1151 / III(1) / 18-46(अधिकारी) / 09, टीसी-4(1)
देहरादून, दिनांक 13 अगस्त, 2018

— कार्यालय ज्ञाप :—

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के समुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री रमेश सिंह मेहरा, प्र० सहायक अभियो	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, रुद्रपुर	ए०डी०वी० खण्ड, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, रुद्रपुर


- सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेपित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव

संख्या 1151 / III(1) / 18-46(अधिकारी) / 09, टीसी-4(1), तददिनांक।
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित।

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1 / स्तर-2, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
- सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(प्रदीप मोहन नौटियाल)
अनु सचिव



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

E-Mail-eicpwd.uk@nic.in

Web- <http://pwd.uk.gov.in>

पत्रांक:- 1847 / 35व्यक्ति-सा० / 18

दिनांक:- 14 / 08 / 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित नियन्त्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें—

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय / ए०डी०बी० कार्यालय, लो०नि०वि०, हल्द्वानी / देहरादून।
2. संबंधित कोषाधिकारी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ / ए०डी०बी० वृत्त, लो०नि०वि०, ऊधमसिंहनगर / टिहरी।
4. अधीशासी अभियन्ता, प्रान्तीय / ए०डी०बी० खण्ड, लो०नि०वि०, रुद्रपुर / उत्तरकाशी।
5. श्री रमेश सिंह मेहरा, प्रनारी सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, रुद्रपुर।
6. आई०टी० हैंड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून को वेब साइट पर अपडेट करने हेतु।
7. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली।

आ०नि०वि० उत्तराखण्ड, देहरादून
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, रुद्रपुर
तिहरी, उत्तरकाशी, ऊधमसिंहनगर

14/08/2018

उत्तराखण्ड शासन

लोक निर्माण अनुभाग-१

संख्या— /III(1)/ 18-46(अधिकारी) /09, टीसी-४(१)
देहरादून, दिनांक १३ अगस्त, २०१८

—: कार्यालय ज्ञाप :—

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक ०४.०८.२०१८ द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-२१०/XXX(२)/१८, दिनांक २५.०७.२०१८ के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-२७ में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के समुख कॉलम-५ में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
१	२	३	४	५
१.	श्री गिरीश चन्द्र पाण्डे, प्र० सहायक० अभिर०	क्षेत्रीय कार्यालय, लो०नि�०वि०, अल्मोड़ा	निर्माण खण्ड, लो०नि�०वि०, कपकोट	निर्माण खण्ड ए०डी०वी०, लो०नि�०वि०, बागेश्वर


- सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव

संख्या /१५२/ III(1)/ 18-46(अधिकारी) /09, टीसी-४(१), तददिनांक।
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1848
४०८-१८
- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
 - अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
 - प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
 - समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-१ /स्तर-२, उत्तराखण्ड।
 - सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
 - सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
 - सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
 - गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


 (प्रदीप सोहन नौटियाल)
 अनु सचिव



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

E-Mail-eicpwd.uk@nic.in

Web- <http://pwd.uk.gov.in>

पत्रांक:- 1848 / 35व्यक्तिा० / 18

दिनांक:- 14 / 08 / 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी की कार्यमुक्ति/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय / ए०डी०वी० कार्यालय, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा / देहरादून।
2. संबंधित कोषाधिकारी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल / ए०डी०वी० वृत्त, लो०नि०वि०, बागेश्वर / पिथौरागढ़।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण / ए०डी०वी० खण्ड, लो०नि०वि०, कपकोट / बागेश्वर।
5. श्री गिरीश चन्द्र पाण्डे, क्षेत्रीय कार्यालय, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा।
6. आई०टी० हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून को वेब साइट पर अपडेट करने हेतु।
7. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली।

[Handwritten signature]
14/08/18

उत्तराखण्ड शासन

लोक निर्माण अभियन्ता-

संख्या— /III(1)/ 18-46(अधिकारी) / 09, टीसी-4(1)

देहरादून, दिनांक 13 अगस्त, 2018

—: कार्यालय ज्ञाप :—

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के समुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री कविन्द्र सिंह गडिया, प्रभारी सहायक अभियन्ता	पी०ए०जी०ए०स०वाई० खण्ड, लो०नि�०वि०, पिथौरागढ़	ए०डी०वी० खण्ड, लो०नि�०वि०, अल्मोड़ा	पी०ए०जी०ए०स०वाई० खण्ड, लो०नि�०वि०, पिथौरागढ़

- सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये विना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेपित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव

संख्या 1162 / III(1)/ 18-46(अधिकारी) / 09, टीसी-4(1), तददिनांक।
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
- सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप मोहन नौटियाल)
अनु सचिव



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विमागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

E-Mail-eicpwd.uk@nic.in

Web- <http://pwd.uk.gov.in>

पत्रांक:- 1858 / 35व्यक्ति-सा० / 18

दिनांक:- 14 / 08 / 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता, ए०डी०वी० / पी०ए०जी०ए०स०वाई० कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून / अल्मोड़ा।
2. संबंधित कोषाधिकारी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, ए०डी०वी० / पी०ए०जी०ए०स०वाई० वृत्त, लो०नि०वि०, पिथौरागढ़।
4. अधिशासी अभियन्ता, ए०डी०वी० / पी०ए०जी०ए०स०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा / पिथौरागढ़।
5. श्री कविन्द्र सिंह गढ़िया, प्रभारी सहायक अभियन्ता, पी०ए०जी०ए०स०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, पिथौरागढ़।
6. आई०टी० हैड, विमागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून को वेब साइट पर अपडेट करने हेतु।
7. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली।

मुख्य अभियन्ता (अधिकारी)
विमागाध्यक्ष कार्यालय
[Signature]
(4) 11/1

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-1
संख्या- / III(1) / 18-46(अधिग्र) / 09, टीसी-4(1)
देहरादून, दिनांक / 3 अगस्त, 2018

—: कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री प्रकाश चन्द्र तिवारी, सहायक अभियन्ता।	ए०डी०वी० खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, गुप्तकाशी डीडीएमए रुद्रप्रयाग	ए०डी०वी० खण्ड, लो०नि०वि०, बागेश्वर

- सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव

संख्या 1161 / III(1) / 18-46(अधिग्र) / 09, टीसी-4(1), तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1 / स्तर-2, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
- सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप मोहन नौटियाल)
अनु सचिव



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन क' वर्ग
लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

E-Mail-eicpwduk@nic.in

Web- <http://pwd.uk.gov.in>

पत्रांक:- 1857 / 35व्यक्ति-सा० / 18

दिनांक:- ५ / ०८ / 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी की कार्यमुक्ता/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय / ए०डी०वी० कार्यालय, लो०नि०वि०, पौड़ी / देहरादून।
2. संबंधित कोषाधिकारी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल / ए०डी०वी० वृत्त, लो०नि०वि०, रुद्रप्रयाग / पिथौरागढ़।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, गुप्तकाशी ढीड़ीएमए रुद्रप्रयाग।
5. अधिशासी अभियन्ता, ए०डी०वी० खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल / बागेश्वर।
6. श्री प्रकाश चन्द्र तिवारी, सहायक अभियन्ता, ए०डी०वी० खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल।
7. आई०टी० हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून को वेब साइट पर अपडेट करने हेतु।
8. गार्ड / व्यक्तिगत पत्रावली।

[Signature]
अधिकारी कार्यालय कार्यालय
नियंत्रक, उत्तराखण्ड
विभागाध्यक्ष, देहरादून
१५/०८/१८

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अभियन्ता
संख्या— /III(1)/18-46(अधिग्र.)/09, टीसी-4(1)
देहरादून, दिनांक 13 अगस्त, 2018

—: कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्बन्धित विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री हीरा बल्लभ भट्ट, सहायक अभियन्ता	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, कपकोट	विश्व इंक खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, डीडीहाट

- सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोपाधिकारी/कोपाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित को जा रहा है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वैतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव

संख्या //८० /III(1)/18-46(अधिग्र.)/09, टीसी-4(1), तददिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1856
14-08-18
- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
 - अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
 - प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
 - समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
 - सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोपाधिकारी।
 - सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
 - सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
 - गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप मोहन नौटियाल)
अनु सचिव



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

Web- <http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail- eicpwd.uk@nic.in

पत्रांक:- 1856 / 35व्यक्ति-सा० / 18

दिनांक:- 14 / 08 / 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित नियत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी की कार्यमुक्ति/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता, दोत्रीय/विश्व बैंक कार्यालय, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा/पिथौरागढ़/देहरादून।
2. संबंधित कोषाधिकारी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल/तृतीय/विश्व बैंक वृत्त, लो०नि०वि०, बागेश्वर/पिथौरागढ़।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण/प्रान्तीय/विश्व बैंक खण्ड, लो०नि०वि०, कपकोट/डीडीहाट/नैनीताल।
5. श्री हीरा बल्लभ भट्ट, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, कपकोट।
6. आई०टी० हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून को वेब साइट पर अपडेट करने हेतु।
7. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली।

[Handwritten signature]
मुख्य अभियन्ता
देहरादून
14/08/2018
[Signature]
14/08/2018

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-1
संख्या- /III(1)/18-46(अधिकारी)/09, टीसी-4(1)
देहरादून, दिनांक | ३ अगस्त, 2018

-: कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के समुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री राकेश सिंह नेगी, सहायक अभियन्ता	पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०निं०वि० कर्णप्रयाग	निर्माण खण्ड, लो०निं०वि० अल्मोड़ा	क्षेत्रीय कार्यालय, लो०निं०वि०, टिहरी


- सम्बन्धित कार्मिक को निर्दिशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव

संख्या 1156 /III(1)/18-46(अधिकारी)/09, टीसी-4(1), तददिनांक।
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
- सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(प्रदीप मोहन नौटियाल)
अनु सचिव

1852
५-०८-१८



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

E-Mail-eicpwd@nic.in

Web- <http://pwd.uk.gov.in>

पत्रांक:- 1852 / 35व्यक्ति-सा० / 18

दिनांक:- 14/08/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित नियन्त्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय/पी०एम०जी०एस०वाई० कार्यालय, लो०नि०वि०, टिहरी/अल्मोड़ा/देहरादून।
2. संबंधित कोषाधिकारी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम/पी०एम०जी०एस०वाई० वृत्त, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा/गोपेश्वर।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण/पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा/कर्णप्रयाग।
5. श्री राकेश सिंह नेगी, सहायक अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, कर्णप्रयाग।
6. आई०टी० हैंड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून को वेब साइट पर अपडेट करने हेतु।
7. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली।

14/08/2018
14/08/2018

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-१
संख्या— /III(1)/18-46(अधिग्र.)/09,टीसी-4(1)
देहरादून, दिनांक ।३ अगस्त, २०१८

—: कार्यालय ज्ञाप :—

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के समुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं.	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री सुभाष चन्द्र विजत्वाण, कनिष्ठ अभियन्ता।	प्रान्तीय खण्ड, उत्तरकाशी	पी०ए०जी०ए०वाई० खण्ड, कालसी	निर्माण खण्ड, विन्यालीसोड रिक्त पद पर (दुर्गम से दुर्गम)

- सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेपित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव

संख्या ।।८३ /III(1)/18-46(अधिग्र.)/09, टीसी-4(1), तददिनांक ।
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित।

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1 / स्तर-2, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
- सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप मोहन नौटियाल)
अनु सचिव

P-766



Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431
 कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
 'व्यवस्थापन 'घ' वर्ग' उत्तराखण्ड देहरादून
 OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND
 Website-<http://pwd.uk.gov.in> E-Mail-eicpwduk@nic.in



पत्रांक: ५७९/२ व्याघ-सामान्य/१७

दिनांक १५/०८/२०१८

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कनिष्ठ /अपर सहायक अभियन्ता की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय कार्यालय) / पी०एम०जी०एस०वाई० लोक निर्माण विभाग, टिहरी/अल्मोड़ा।
2. अधीक्षण अभियन्ता, ०६ वॉ/पी०एम०जी०एस०वाई० वृत्त, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी/मसूरी।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण/पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड लोक निर्माण विभाग उत्तरकाशी / कालसी।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई०टी०, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कार्मिक।
6. गार्ड पत्रावली।

(आनन्द सिंह पंवार)
 अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान)
15-08-18

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अभियन्ता
संख्या— /III(1)/18-46(अधिकारी) /09, टीसी-4(1)
देहरादून, दिनांक 13 अगस्त, 2018

—: कार्यालय ज्ञाप :—

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के समुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः—

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री अमित चौहान, अपर सहायक अभियन्ता	निर्माण खण्ड, चिन्यालीसौड	प्रान्तीय खण्ड, रुद्रपुर	निर्माण खण्ड, चिन्यालीसौड रिक्त पद पर (दुर्गम से दुर्गम)

- सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव

संख्या //64 /III(1)/18-46(अधिकारी) /09, टीसी-4(1), तददिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर मुख्य सचिव/सचिव, माठ मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
- सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप मोहन नौटियाल)
अनु सचिव

P-7-0



Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
“व्यवस्थापन ‘घ’ वर्ग” उत्तराखण्ड देहरादून

OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-<http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail-eicpwduk@nic.in



पत्रांक: 1.00/2 व्यवस्था-सामाच्य/17

दिनांक 11/08/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कानिष्ठ /अपर सहायक अभियन्ता की कार्यमुक्त /योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय कार्यालय) लोक निर्माण विभाग, टिहरी / हल्द्वानी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, 06 वाँ / चतुर्थ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी / उधनसिंहनगर।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण / प्रान्तीय लोक निर्माण विभाग उत्तरकाशी / रुद्रपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई०टी०, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कार्मिक।
6. गार्ड पत्रावली।

Abhishek
(आनन्द सिंह पंवार)
अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान)

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-१
संख्या— / III(1)/18-46(अधिकारी) / 09, टीसी-4(1)
देहरादून, दिनांक 13 अगस्त, 2018

— कार्यालय ज्ञाप :—

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के समुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्रीमती कुसुमलता तिवारी, अपर सहायक अभियन्ता	प्रान्तीय खण्ड, गोपेश्वर	प्रान्तीय खण्ड, रुद्रपुर	पी०ए०जी०ए०वाई०, खण्ड, पाखरी रिक्त पद पर (दुर्गम से दुर्गम)

- सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव

संख्या 1165 / III(1)/18-46(अधिकारी) / 09, टीसी-4(1), तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1 / स्तर-2, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
- सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप मोहन नौटियाल)
अनु सचिव

P-TD



पत्राक: १२ / व्यवस्था-सामान्य/ 17

दिनांक १६/०८/२०१८

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कनिष्ठ
/अपर सहायक अभियन्ता की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस
कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय कार्यालय) / पी०ए०जी०ए०वा०इ० लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/हल्द्वानी/
देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता, ०७ वॉ/चतुर्थ/पी०ए०जी०ए०वा०इ० वृत्त, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर/
ऊधमसिंहनगर।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण खण्ड (पी०ए०जी०ए०वा०इ०) लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर/
रुद्रपुर/पोखरी।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई०टी०, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून बैबसाइट पर
अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कार्मिक।
6. गार्ड पत्रावली।

(आनन्द सिंह पंवार)
 अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान)

 १६.८.१८

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अभियन्ता-1
संख्या— / III(1)/ 18-46(अधिक) / 09, टीसी-4(1)
देहरादून, दिनांक / ३ अगस्त, 2018

—: कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित / तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री दीपक सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता।	पी०ए०जी०ए०वाई०, खण्ड पिथौरागढ़	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोहाघाट	पी०ए०जी०ए०वाई०, खण्ड पिथौरागढ़ रिक्त पद पर (दुर्गम से दुर्गम)

- सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव

संख्या ॥ ६६ / III(1)/ 18-46(अधिक) / 09, टीसी-4(1), तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1 / स्तर-2, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता।
- सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
- गार्ड फार्डल।

आड़ा से,

(प्रदीप मोहन नौटियाल)
अनु सचिव

P. 7-0



पत्रांक / 2 व्यघ-सामान्य/17

E-Mail-eicpwduk@nic.in

दिनांक / 08/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कनिष्ठ / अपर सहायक अभियन्ता की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 / राष्ट्रीय राजमार्ग लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा/हल्द्वानी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 / राष्ट्रीय राजमार्ग वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़ / हल्द्वानी।
3. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 / राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़ / लोहाघाट।
4. आधिशासी अभियन्ता, आई0टी0, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कार्मिक।
6. गार्ड पत्रावली।

(आनन्द सिंह पंवार)
 अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान)

14.08.18

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-१
संख्या- ४६७ / III(1) / १८-४६(अधिः) / ०९, टीसी-४(१)
देहरादून, दिनांक ३ अगस्त, २०१८

- कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक ०४.०८.२०१८ द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-२१०/XXX(२)/१८, दिनांक २५.०७.२०१८ के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-२७ में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के समुख कॉलम-५ में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री सन्तोष कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता।	निर्माण खण्ड, कपकोट	पी०एम०जी०एस०वाई०, खण्ड, कालसी	निर्माण खण्ड, कपकोट रिक्त पद पर (दुर्गम से दुर्गम)

- सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव

संख्या ४६७ / III(1) / १८-४६(अधिः) / ०९, टीसी-४(१), तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-१/स्तर-२, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
- सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(प्रदीप मोहन नौटियाल)
अनु सचिव

P.T.O




पत्रांक: ६३/२ व्यघ-सामान्य / १७

दिनांक १५/०९/२०१८

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कनिष्ठ / अपर सहायक अभियन्ता की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

१. मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय कार्यालय) / पी०एम०जी०एस०वाई० लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा/देहरादून।
२. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल / पी०एम०जी०एस०वाई० वृत्त, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर/मसूरी।
३. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड / पी०एम०जी०एस०वाई० लोक निर्माण विभाग कपकोट/कालरी।
४. अधिशासी अभियन्ता, आई०टी०, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
५. सम्बन्धित कार्मिक।
६. गार्ड पत्रावली।


 (आनन्द सिंह पंवार)
 अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान)

१५.०९.१८

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अभियन्ता
संख्या— /III(1)/ 18-46(अधिग) /09, टीसी-4(1)
देहरादून, दिनांक 13 अगस्त, 2018

— कार्यालय ज्ञाप —

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री गोविन्द सिंह महरा, अपर सहायक अभियन्ता।	निर्माण खण्ड, कपकोट	अस्थाई खण्ड, बरीनाम	निर्माण खण्ड, कपकोट रिक्त पद पर (दुर्गम से दुर्गम)

- सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव

संख्या ||६७ /III(1)/ 18-46(अधिग) /09, टीसी-4(1), तददिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर मुख्य सचिव/सचिव, माओ मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
- सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा सं.

(प्रदीप मोहन नौटियाल)
अनु सचिव



Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग

"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून

OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND



Website-<http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांक: ५०४/२ व्यघ-सामान्य/१७

दिनांक: १६/०८/२०१८

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कनिष्ठ /अपर सहायक अभियन्ता की कार्यमुक्ता/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय कार्यालय) लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा/पिथौरागढ़।
2. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल/तृतीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर/पिथौरागढ़।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण/अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग कपकोट/बेरीनाग।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई०टी०, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कार्मिक।
6. गाड़ पत्रावली।

Arvind Singh
(आनन्द सिंह पंवार)
अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान)

Arvind Singh
16.08.18

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-१
संख्या— /III(1)/ 18-46(अधिग) /09, टीसी-४(1)
देहरादून, दिनांक १३ अगस्त, 2018

— कार्यालय ज्ञाप :—

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/ तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्रीमति सुमन बिष्ट, कनिष्ठ अभियन्ता	अस्थाई खण्ड, कीर्तिनगर	निर्माण खण्ड, दुगड़ा	पी०ए०जी०एस०वाई० खण्ड, कीर्तिनगर रिक्त पद पर (दुर्गम से दुर्गम)

2. सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये विना योगदान देना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।


(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव

संख्या 1169 /III(1)/ 18-46(अधिग) /09, टीसी-४(1), तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
7. सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(प्रदीप मोहन नौटियाल)
अनु सचिव

P-T-O



Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431
 कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
 "व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून
 OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND
 Website-<http://pwd.uk.gov.in> E-Mail-eicpwduk@nic.in



पत्रांक: 605/2 व्यध-सामान्य/17

दिनांक 14/08/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कनिष्ठ /अपर सहायक अभियन्ता की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय कार्यालय)/ पी0एम0जी0एस0वाई0 लोक निर्माण विभाग, टिहरी/पौड़ी/देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता, 08 वॉ/12 वॉ/पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्ता, लोक निर्माण विभाग, टिहरी/पौड़ी/श्रीनगर।
3. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई /निर्माण/ पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर/दुर्गढ़ा/ कीर्तिनगर।
- ~~4.~~ अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कार्मिक।
6. गार्ड पत्रावली।

Yashwant Singh
 (अनिन्द सिंह पंवार)
 अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान)
14.08.18

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अभियन्ता
संख्या— /III(1)/18-46(अधिग) /09, टीसी-4(1)
देहरादून, दिनांक । ३ अगस्त, 2018

—: कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तत्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री मान सिंह, अपर सहायक अभियन्ता	निर्माण खण्ड ऊर्खीमठ	प्रान्तीय खण्ड रुद्रपुर	निर्माण खण्ड ऊर्खीमठ रिक्त पद पर (दुर्गम से दुर्गम)

- सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव

संख्या ॥ ८० /III(1)/18-46(अधिग) /09, टीसी-4(1), तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर मुख्य सचिव/सचिव, माठ मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
- सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
- गार्ड फार्मल।

आज्ञा से

(प्रदीप मोहन नौटियाल)
अनु सचिव

P.T.O



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-<http://pwd.uk.gov.in>

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून



E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांक: १५४/२ व्यवस्था-सामान्य/१७

दिनांक १६/०८/२०१८

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कनिष्ठ / अपर सहायक अभियन्ता की कार्यमुक्त / योगदान की सूचना तत्काल फैक्स / ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय कार्यालय) लोक निर्माण विभाग, पौड़ी / हल्द्वानी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल / चतुर्थ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग / ऊधमसिंहनगर।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण / प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ / रुद्रपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई०टी०, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कार्मिक।
6. गार्ड पत्रावली।

Amarnath Singh Panwar
(आमन्द सिंह पंवार)
अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान)
Amarnath Singh Panwar
14.08.18

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-१
संख्या— /III(1)/18-46(अधिव) /09, टीसी-4(1)
देहरादून, दिनांक ।३ अगस्त, 2018

—: कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के समुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री राजेन्द्र प्रसाद सती, कनिष्ठ अधिव	निर्माण खण्ड, लोनिवि अस्कोट	ए०डी०वी० दुगड़ा	ए०डी०वी० आपदा खण्ड, नैनीताल रिक्त पद पर

- सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव

संख्या ।।८/ /III(1)/18-46(अधिव) /09, टीसी-4(1), तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-१/स्तर-२, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
- सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप मोहन नौटियाल)
अनु सचिव

P.T.O.



पत्रांक: ६०७/२ व्यध-सामान्य/१७

दिनांक १५/०८/२०१८

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कनिष्ठ /अपर सहायक अभियन्ता की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें—

1. मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय कार्यालय) /१०३०३० लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़/देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय/१०३०३०/१०३०३०(आपदा) वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़/टिहरी/अल्मोड़ा।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण/१०३०३०/१०३०३०(आपदा) खण्ड लोक निर्माण विभाग अरकोट/दुगड़ा/नैनीताल।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई०टी०, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कार्मिक।
6. गाड़ पत्रावली।

[Signature]
 (आनन्द सिंह पंवार)
 अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान)
[Signature]
 १५.०८.१८

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-१
संख्या— /III(1)/ 18-46(अधिकारी) /09, टीसी-4(1)
देहरादून, दिनांक । ३ अगस्त, 2018

— कार्यालय ज्ञाप —

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विद्यारोपणात् विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री सुशील कुमार, अपर सहाय अभियन्ता	निर्माण खण्ड, ए०डी०वी० पौड़ी	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, रुद्रपुर	निर्माण खण्ड, ए०डी०वी० पौड़ी रिक्त पद पर (दुर्गम से दुर्गम)

- सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये विना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

/

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव

संख्या ।।८२- /III(1)/ 18-46(अधिकारी) /09, टीसी-4(1), तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
- सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा सं.

(प्रदीप मोहन नौटियाल)
अनु सचिव




पत्रांक: 18/2 व्यध-सामान्य/17

दिनांक 14/08/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कनिष्ठ / अपर सहायक अभियन्ता की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें—

1. मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय कार्यालय)/ए0डी0वी0 लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी/देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ/ए0डी0वी0 वृत्त, लोक निर्माण विभाग, ऊधमसिंहगढ़/टिहरी।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय /निर्माण खण्ड ए0डी0वी0 लोक निर्माण विभाग पौड़ी/रुद्रपुर।
- ~~4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।~~
5. सम्बन्धित कार्मिक।
6. गार्ड पत्रावली।


 (आनन्द सिंह पंवार)
 अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान)
 14.08.18

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-१
संख्या— /III(1)/18-46(अधिकारी)/09, टीसी-4(1)
देहरादून, दिनांक । ३ अगस्त, 2018

—: कार्यालय ज्ञाप :—

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारापरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनाति किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री विवेक सिंह धर्मशक्ति कनिष्ठ अभियन्ता।	पी०ए०जी०ए०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, धारचूला- मुनस्थारी	राष्ट्रीय राजमार्ग रानीखेत	पी०ए०जी०ए०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, धारचूला- मुनस्थारी रिक्त पद पर (दुर्गम से दुर्गम)

- सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित जनपद के विविध कोपाधिकारी/कोपाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव

संख्या ।।३ /III(1)/18-46(अधिकारी)/09, टीसी-4(1), तददिनांक
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोपाधिकारी।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
- सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(प्रदीप मोहन नौटियाल)
अनु सचिव

P.T.O



पत्रांक: १०८/२ व्यघ-सामान्य/१७

E-Mail-eicpwduk@nic.in

दिनांक १५/०८/२०१८

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कनिष्ठ /अपर सहायक अभियन्ता की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०/राष्ट्रीय राजमार्ग लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा/हल्द्वानी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०/राष्ट्रीय राजमार्ग वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़/हल्द्वानी।
3. अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०/राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग धारचूला-मुनस्यारी/रानीखेत।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई०टी०, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कार्मिक।
6. गार्ड पत्रावली।

(आनन्द सिंह पंवार)
 अधिशासी अभियन्ता (अधिकारी)
 १५.०८.१८

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-१
संख्या— /III(1)/18-46(अधिकारी)/09, टीसी-4(1)
देहरादून, दिनांक /३ अगस्त, 2018

—: कार्यालय ज्ञाप :—

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के समुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री छबील दास सैनी, अपर सहायक अभियन्ता।	अस्थाई खण्ड, लो०नि�०वि०, ऋषिकेश	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि�०वि०, पौड़ी	अस्थाई खण्ड, लो०नि�०वि०, ऋषिकेश

- सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये विना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेपित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव

संख्या 1174 /III(1)/18-46(अधिकारी)/09, टीसी-4(1), तददिनांक।
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित।

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
- सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
- गार्ड फार्म।

आज्ञा से,

(प्रदीप मोहन नौटियाल)
अनु सचिव

P.T.O



Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431
 कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
 "व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून
 OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND
 Website-<http://pwd.uk.gov.in> E-Mail-eicpwduk@nic.in



पत्रांक ६१ / २ व्यव-सामान्य / १७

दिनांक १५ / ०८ / २०१८

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय कार्यालय) लोक निर्माण विभाग, देहरादून / पौड़ी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, ०९ वॉ/१२ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून / पौड़ी।
3. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई/प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश / पौड़ी।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई०टी०, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. सम्बन्धित कार्मिक।
8. गाड़ पत्रावली।

[Signature]
 (आनन्द सिंह पंवार)
 अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान)
9/8/18
14.08.18

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-१
संख्या— /III(1)/18-46(अधिकारी)/09, टीसी-4(1)
देहरादून, दिनांक 13 अगस्त, 2018

— कार्यालय ज्ञाप :—

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्बन्धित विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री मनोज महतोलिया, अपर सहायक अभियन्ता।	निर्माण खण्ड, हल्द्वानी	निर्माण खण्ड, लोनिवी, रानीखेत	निर्माण खण्ड, हल्द्वानी रिक्त पद पर

- सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव

संख्या 1175 /III(1)/18-46(अधिकारी)/09, टीसी-4(1), तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर मुख्य सचिव/सचिव, माओ मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1 /स्तर-2, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
- सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप मोहन नौटियाल)
अनु सचिव

P.T.O.



Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
'व्यवस्थापन 'घ' वर्ग' उत्तराखण्ड देहरादून
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-<http://pwd.uk.gov.in> **E-Mail-eicpwduk@nic.in**



पत्रांक: ६११/२ व्यघ-सामान्य/१८

दिनांक १५/०८/२०१८

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कनिष्ठ /अपर सहायक अभियन्ता की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें—

1. मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय कार्यालय) लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी/ अल्मोड़ा।
2. अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय/प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल/अल्मोड़ा।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी/ रानीखेत।
4. ✓ अधिशासी अभियन्ता, आई०टी०, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कार्मिक।
6. गार्ड पत्रावली।

Singh
(आनन्द सिंह पंवार)
अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान)
15-08-18

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-1
संख्या— /III(1)/18-46(अधिकारी)/09, टीसी-4(1)
देहरादून, दिनांक 13 अगस्त, 2018

— कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनाति किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री प्रदीप जोशी, कनिष्ठ अभियन्ता।	निर्माण खण्ड, हल्द्वानी	पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0निर्विधि, सर्ट	प्रान्तीय खण्ड, अल्मोड़ा

- सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव

संख्या 1176 /III(1)/18-46(अधिकारी)/09, टीसी-4(1), तददिनांक।
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर मुख्य सचिव/सचिव, माओ मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिकारी अभियन्ता।
- सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा सं।

(प्रदीप मोहन नौटियाल)
अनु सचिव

P.T.O



पत्रांक. ११२ /२ व्यघ—सामान्य/१७

दिनांक १६/०८/२०१८

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता की कार्यमुक्ति/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें—

1. मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय कार्यालय)/पी०ए०जी०ए०वा०इ० लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी/अल्मोड़ा।
2. अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय/पी०ए०जी०ए०वा०इ०/प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल/ज्योतीकोट/अल्मोड़ा।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड/पी०ए०जी०ए०वा०इ०/प्रान्तीय लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी/सल्ट/अल्मोड़ा।
4. ✓ अधिशासी अभियन्ता, आई०टी०, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कार्मिक।
6. गार्ड पत्रावली।

[Signature]
 (आनन्द सिंह पंवार)
 अधिशासी अभियन्ता (अधिकारी)
[Signature]
 १५.०८.१८

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-१
संख्या— /III(1)/18-46(अधिकारी)/09, टीसी-4(1)
देहरादून, दिनांक 13 अगस्त, 2018

— कार्यालय ज्ञाप :—

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नाकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री हेम चन्द, अपर सहायक अभियन्ता।	पी०एम०जी०एस०वाई० वृत्त लो०नि०वि०, ज्योतीकोट (सर्वांगी)	विश्व बैंक खण्ड, लो०नि०वि०, टिहरी	पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, द्वाराहाट रिक्त पद पर

- सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव

संख्या 1177 /III(1)/18-46(अधिकारी)/09, टीसी-4(1), तददिनांक।
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर मुख्य सचिव/सचिव, माओ मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1 / स्तर-2, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
- सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप मोहन नौदियाल)
अनु सचिव

D.T.O



पत्रांक १३ /२ व्यव-सामान्य/१७

E-Mail-eicpwduk@nic.in

दिनांक १५ /०८/२०१८

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई०/विश्व बैंक लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा/ देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०/विश्व बैंक वृत्त, लोक निर्माण विभाग, ज्योलीकोट/ टिहरी।
3. अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०/ विश्व बैंक खण्ड लोक निर्माण विभाग टिहरी/ द्वाराहाट।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई०टी०, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कार्मिक।
6. गार्ड पत्रावली।

(Anand Singh Pant)
 अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान)

14.08.18

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-१
संख्या— /III(1)/ 18-46(अधिक) / 09, टीसी-4(1)
देहरादून, दिनांक १३ अगस्त, 2018

—: कार्यालय ज्ञाप :—

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री अतुल राणा, कनिष्ठ अभियन्ता।	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, रुड़की (देहरादून)	बल्ड बैंक टिहरी	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, रुड़की (देहरादून)

- सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेपित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव

संख्या ॥७८ /III(1)/ 18-46(अधिक) / 09, टीसी-4(1), तददिनांक।
प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित।

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-१/स्तर-२, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
- सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप मोहन नौटियाल)
अनु सचिव

P.T.O



पत्रांक: 14/2 व्यघ-सामान्य/17

दिनांक 14/08/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कनिष्ठ /अपर सहायक अभियन्ता की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग/विश्व बैंक लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता, 10 वाँ राष्ट्रीय राजमार्ग/विश्व बैंक वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून / टिहरी।
3. अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग/विश्व बैंक खण्ड लोक निर्माण विभाग रुडकी/ टिहरी।
4. ~~अधिशासी अभियन्ता, आईटी०, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।~~
5. सम्बन्धित कार्मिक।
6. गार्ड पत्रावली।

14/08/18
 (आनन्द सिंह पंवार)
 अधिशासी अभियन्ता (अधिकारी)

14/08/18

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-१
संख्या— / III(1)/ 18-46(अधिकारी) / 09, टीसी-४(१)
देहरादून, दिनांक ३ अगस्त, 2018

—: कार्यालय ज्ञाप :—

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्बन्धित विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तत्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-५ में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/ तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री अशोक सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता।	प्रान्तीय खण्ड, अल्मोड़ा	निर्माण खण्ड, रानीखेत	प्रान्तीय खण्ड, अल्मोड़ा

2. सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
4. सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव

संख्या ११७९ / III(1)/ 18-46(अधिकारी) / 09, टीसी-४(१), तददिनांक।
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव/सचिव, माठ मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-१/स्तर-२, उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
6. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
7. सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप मोहन नौटियाल)
अनु सचिव

P.T.O



Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
‘व्यवस्थापन ‘घ’ वर्ग’ उत्तराखण्ड देहरादून

OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-<http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail-eicpwd.uk@nic.in



पत्रांक: ६५/२ व्यष्टि-सामान्य/१७

दिनांक १५/०८/२०१८

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कनिष्ठ /अपर सहायक अभियन्ता की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय कार्यालय) लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
2. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा / रानीखेत।
4. ✓ अधिशासी अभियन्ता, आईटी०, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कार्मिक।
6. गार्ड पत्रावली।

[Signature]
(आनन्द सिंह पंवार)
अधिशासी/अभियन्ता (अधिष्ठान)
[Signature]
14-08-18

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अभियन्ता
संख्या— /III(1)/18-46(अधि०)/०९, टीसी-४(१)
देहरादून, दिनांक)२ अगस्त, २०१८

—: कार्यालय ज्ञाप :—

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के समुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री प्रकाश चन्द्र पन्त, अपर सहायक अभियन्ता	प्रान्तीय खण्ड, अल्मोड़ा	निर्माण खण्ड, कपकोट	प्रान्तीय खण्ड, अल्मोड़ा

- सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव

संख्या ॥०८ /III(1)/18-46(अधि०)/०९, टीसी-४(१), तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर मुख्य सचिव/सचिव; मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-१/स्तर-२, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
- सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप मोहन नौटियाल)
अनु सचिव



Phone & Fax – 0135-2530467, 2530431
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-<http://pwd.uk.gov.in> **E-Mail-eicpwd@nic.in**



पत्रांक: 616 / 2 व्यघ-सामान्य/ 17

दिनांक 16 / 08 / 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

1. मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय कार्यालय) लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
2. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम/ रिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा/ बागेश्वर।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा/ कपकोट।
4. ~~अधिशासी अभियन्ता, आई०टी०, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून वैबसाइट~~
पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कार्मिक।
6. गार्ड पत्रावली।

Y. Ranjan
(आनन्द सिंह पंवार)
अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान)

16.08.18

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-1
संख्या— / III(1) / 18-46(अधिक) / 09.टीसी-4(1)
देहरादून, दिनांक 13 अगस्त, 2018

—: कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के समुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री उमाशंकर कुकरेती कनिष्ठ अभियन्ता।	प्रान्तीय खण्ड, लैन्सडौन	पी०ए०जी०ए०वाई० कोटद्वार	प्रान्तीय खण्ड, लैन्सडौन

- सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेपित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव

संख्या 11०१ / III(1) / 18-46(अधिक) / 09. टीसी-4(1), तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित।

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
- सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप मोहन नौटियाल)
अनु सचिव

P.T.O

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
‘व्यवस्थापन ‘घ’ वर्ग’ उत्तराखण्ड देहरादून
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND



Website-<http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail-eicpwd@nic.in

पत्रांक: ११७/२ व्यघ—सामान्य/१७

दिनांक: १६/०८/२०१८

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कनिष्ठ /अपर सहायक अभियन्ता की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें—

१. मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय कार्यालय)/पी०ए०जी०ए०वा०५० लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/देहरादून।
२. अधीक्षण अभियन्ता, १२ वॉ/पी०ए०जी०ए०वा०५० वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/श्रीनगर।
३. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड/पी०ए०जी०ए०वा०५० लोक निर्माण विभाग लैन्सडौन कोटद्वार।
४. अधिशासी अभियन्ता, आई०टी०, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
५. सम्बन्धित कार्मिक।
६. गार्ड पत्रावली।

[Signature]
(आनन्द सिंह पंवार)
अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान)

[Signature]
१६/०८/१८

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-१
संख्या— / III(1) / 18-46(अधिक) / 09, टीसी-4(1)
देहरादून, दिनांक 13 अगस्त, 2018

— कार्यालय ज्ञाप :-

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निर्माणित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के समुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री रुक्म सिंह चौहान कनिष्ठ अभियन्ता।	निर्माण खण्ड, बैजरों	निर्माण खण्ड, नरेन्द्रनगर	निर्माण खण्ड, बैजरों

- सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेपित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव

संख्या 1182/III(1)/18-46(अधिक) / 09, टीसी-4(1), तददिनांक।
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित।

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर मुख्य सचिव/सचिव, माठ मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1 / स्तर-2, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता।
- सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप मोहन नौटियाल)
अनु सचिव

P.T.O




पत्रांक: ६८ /२ व्यघ-सामान्य/१७

दिनांक: १५ / ०८ / २०१८

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कनिष्ठ / अपर सहायक अभियन्ता की कार्यमुक्ता/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें-

1. मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय कार्यालय) लोक निर्माण विभाग, पौड़ी / टिहरी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, 12 वॉ / ०८ वॉ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी / टिहरी।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग बैजरां / नरेन्द्रनगर।
4. ~~अधिशासी अभियन्ता, आई०टी०, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।~~
5. सम्बन्धित कार्मिक।
6. गार्ड पत्रावली।


(आनन्द सिंह पंवार)
अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान)

१५.०८.१८

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अभियन्ता
संख्या— /III(1)/18-46(अधिग) /09, टीसी-4(1)
देहरादून, दिनांक 13 अगस्त, 2018

— कार्यालय ज्ञाप :—

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विद्यारोपण विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के समुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री रमेश सिंह, अपर सहायक अभियन्ता।	अस्थाई खण्ड, ऋषिकेश	अस्थाई खण्ड, थराती	अस्थाई खण्ड, थराती

- सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव

संख्या 1103 /III(1)/18-46(अधिग) /09, टीसी-4(1), तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर मुख्य सचिव/सचिव, माठ मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
- सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप मोहन नौटियाल)
अनु सचिव

P.T.O



Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431
 कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
 'व्यवस्थापन 'घ' वर्ग' उत्तराखण्ड देहरादून
 OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND



Website-<http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail-eicpwd@nic.in

पत्रांक: ६११ /२ व्यघ—सामान्य/१७

दिनांक १६/०८/२०१८

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें—

१. मुख्य अभियन्ता (झेत्रीय कार्यालय) लोक निर्माण विभाग, देहरादून/पौड़ी/टिहरी।
२. अधीक्षण अभियन्ता, ०९ वीं /०७ वीं /०८ वीं वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून/गोपेश्वर/टिहरी।
३. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश/थराली/थत्युड़।
४. अधिशासी अभियन्ता, आई०टी०, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
५. सम्बन्धित कार्मिक।
६. गार्ड पत्रावली।

S. K. Singh
 (आनन्द सिंह पंवार)
 अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान)

R.
 १६.०८.१८

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-१
संख्या— / III(1)/18-46(अधिग्र.)/09, टीसी-४(१)
देहरादून, दिनांक । ३ अगस्त, 2018

—: कार्यालय ज्ञाप :—

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विघारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के समुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री सोनू दीप, कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक)	निर्माण खण्ड, चम्बा	यिं/यां० खण्ड, भीमताल	निर्माण खण्ड, चम्बा

- सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव

संख्या ॥८५ / III(1)/18-46(अधिग्र.)/09, टीसी-४(१), तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर मुख्य सचिव/सचिव, माठ मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-१/स्तर-२, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
- सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप मोहन नौटियाल)
अनु सचिव

P.T.O



पत्रांक: ६८८/२ व्यघ-सामान्य/१७

दिनांक १५/०८/२०१८

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कनिष्ठ / अपर सहायक अभियन्ता की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें—

1. मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय कार्यालय) लोक निर्माण विभाग, टिहरी/हल्द्वानी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, ०८ वीं/०५ वीं/०३ वीं वृत्त, लोक निर्माण विभाग, टिहरी/हल्द्वानी।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण/वीं/०३ वृत्त लोक निर्माण विभाग चम्बा/भीमताल।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई०टी०, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कार्मिक।
6. गार्ड पत्रावली।

(आनन्द सिंह पंवार)
 अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान)
 १५.०८.१८

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अभियन्ता
संख्या— ~ /III(1)/18-46(अधिक) /09.टीसी-4(1)
देहरादून, दिनांक 13 अगस्त, 2018
—: कार्यालय ज्ञाप :—

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के समुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनाति किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री रोहित कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक)	प्रान्तीय खण्ड, नई टिहरी	निर्माण खण्ड, खटीमा	निर्माण खण्ड, काशीपुर रिक्त पद पर

- सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित वकी जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव

संख्या 1105 /III(1)/18-46(अधिक) /09, टीसी-4(1), तददिनांक ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
- सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप मोहन नौटियाल)
अनु सचिव

P.T.O



पत्रांक: ११/२ व्यघ-सामान्य/१७

दिनांक: १५/०८/२०१८

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कनिष्ठ / अपर सहायक अभियन्ता की कार्यमुक्ति/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें—

1. मुख्य अभियन्ता (झेत्रीय कार्यालय) लोक निर्माण विभाग, टिहरी / हल्द्वानी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, ०८ वीं / चतुर्थ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, टिहरी / ऊधमसिंहनगर।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय / निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग टिहरी / खटीगा / काशीपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई०टी०, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कार्मिक।
6. गार्ड पत्रावली।

Yashwant Singh
(आनन्द सिंह पंवार)
अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान)
15/08/18

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अभियन्ता
संख्या— /III(1)/18-46(अधिग) / 09, टीसी-4(1)
देहरादून, दिनांक 13 अगस्त, 2018

— कार्यालय ज्ञाप :—

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री संजय सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक)	निर्माण खण्ड, पौड़ी	प्रान्तीय खण्ड, कर्णप्रयाग	निर्माण खण्ड, पौड़ी

- सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोपाधिकारी/कोपाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव

संख्या 1186 /III(1)/18-46(अधिग) / 09, टीसी-4(1), तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर मुख्य सचिव/सचिव, मार्ग मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1 / स्तर-2, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोपाधिकारी।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
- सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप मोहन नौटियाल)
अनु सचिव

P.T.O



Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-<http://pwd.uk.gov.in> **E-Mail-eicpwduk@nic.in**



पत्रांक: 122/2 व्यष्टि-सामान्य/17

दिनांक 14/08/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कनिष्ठ /अपर सहायक अभियन्ता की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें—

1. मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय कार्यालय) लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, 12 वाँ/07वाँ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/गोपेश्वर।
3. अधिशास्ती अभियन्ता निर्माण/प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग पौड़ी/ कर्णप्रयाग।
4. अधिशास्ती अभियन्ता, आई0टी0, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कार्मिक।
6. गार्ड पत्रावली।

Abhishek
(आनन्द सिंह पंवार)
अधिशास्ती/अभियन्ता (अधिष्ठान)
14.08.18

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-१
संख्या— /III(1)/ 18-46(अधिकार) / 09, टीसी-4(1)
देहरादून, दिनांक । ३ अगस्त, 2018

—: कार्यालय ज्ञाप :—

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में किये गये स्थानान्तरणों में संशोधन किए जाने हेतु अपने पत्र दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-210/XXX(2)/18, दिनांक 25.07.2018 के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-27 में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शासन द्वारा सम्यक विद्यारोपरान्त विभागीय कार्यहित में निम्नांकित कार्मिक को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के समुख कॉलम-5 में उल्लिखित स्थान पर स्थानान्तरित/ तैनाति किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-


क्र० सं	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरित तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री आशीष सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)	वि०/या० खण्ड गोपेश्वर	वि०/या० खण्ड, बाजपुर	वि०/या० खण्ड, देहरादून

- सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये विना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेपित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।


(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव

संख्या । १०७ /III(1)/ 18-46(अधिकार) / 09, टीसी-4(1), तददिनांक ।
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित ।

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
- अपर मुख्य सचिव/ सचिव, मार्ग मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन ।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
- समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1 / स्तर-2, उत्तराखण्ड ।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी ।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/ अधिशासी अभियन्ता ।
- सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से) ।
- गार्ड फाईल ।

आज्ञा स.


(प्रदीप मोहन नौटियाल)
अनु सचिव

P.T.O



Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431
 कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
 "व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून
 OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND
 Website-<http://pwd.uk.gov.in> E-Mail-eicpwd.uk@nic.in



पत्रांक १२३ /२ व्यघ-सामान्य/१७

दिनांक १६/०८/२०१८

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कनिष्ठ /अपर सहायक अभियन्ता की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें—

1. मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय कार्यालय) लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी / देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता, ०५ वीं/११ वीं विं/यां० वृत्त, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी / देहरादून।
3. अधिशासी अभियन्ता विं/यां० खण्ड लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर / बाजपुर / देहरादून।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई०टी०, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कार्मिक।
6. गार्ड पत्रावली।

(आनन्द सिंह पंवार)
 अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान)
पंवार
१६/०८/१८

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-१
संख्या- /III(1)/18-46(अधिक) /09, टीसी-04
देहरादून, दिनांक ।। ।। अगस्त, 2018

MD
11-08-18

-: कार्यालय ज्ञाप :-

१८९ लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निर्माण खण्ड, बैजरों में सहायक अभियन्ता के स्वीकृत ०४ पदों के सापेक्ष सहायक अभियन्ता कार्यरत न होने के दृष्टिगत निम्नलिखित सहायक अभियन्ता को विभागीय कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुये तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के समुख अंकित कॉलम-४ में उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	टिप्पणी
1	2	3	4	
1.	श्री सुभम पुण्डीर, सहायक अभियन्ता।	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बैजरों ठिहरी।	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बैजरों।	स्वीकृत सहायक अभियन्ता के ०५ पदों के सापेक्ष ०६ कार्यरत। खण्ड में अधिकतम अवधि से कार्यरत सहायक अभियन्ता।

- १८९ (अधिक) २. सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये विना योगदान देना सुनिश्चित करें।
 ३. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
 ४. सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेपित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव

संख्या ॥१३ /III(1)/18-46(अधिक) /09, टीसी-04, तददिनांक।
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित।

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-१ /स्तर-२, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
- सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
- गार्ड फाईल।

आड़ा से,

प्रदीप मोहन नौटियाल
(प्रदीप मोहन नौटियाल)
अनु सचिव

1879
२०-०८-१८



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431
Web- <http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail-cicpwd@nic.in

पत्रांक:- 1879 / 35व्यक्तिा० / 18

दिनांक: २०/०८/२०१८

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित नियम अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो०नि०वि०, टिहरी।/पौड़ी।
2. संबंधित कोषाधिकारी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, ८वा/१२वा वृत्त, लो०नि०वि०, टिहरी/पौड़ी।
4. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, टिहरी/बैजरों।
5. श्री शुभम पुण्डीर, सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, टिहरी।
6. आई०टी० हैंड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून को वेब साइट पर अपडेट करें।
7. गार्ड/व्यवितरण पत्रावली।

20/08/18
मुख्य अभियन्ता
क्षेत्रीय कार्यालय
लो०नि०वि०, टिहरी
पौड़ी।

मुख्य
अभियन्ता
क्षेत्रीय कार्यालय
लो०नि०वि०, टिहरी
पौड़ी।

२७/१०/१८

उत्तराखण्ड शासन

लोक निर्माण अनुभाग-१

संख्या— / III(1) / १८-४६(अधि०) / ०९, टीसी-४(१)
देहरादून, दिनांक १५ अगस्त, २०१८

— कार्यालय ज्ञाप :-

(१११ने) लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-११६१ / १११(१) / १८-४६(अधि०) / ०९ टीसी०-४(१), दिनांक १३.०८.२०१८ के द्वारा श्री प्रकाश चन्द्र तिवारी, सहायक अभियन्ता का स्थानान्तरण ए०डी०वी० खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल से ए०डी०वी० खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर में किया गया है। श्री प्रकाश चन्द्र तिवारी द्वारा अपने स्थानान्तरण के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-२३०/एस०वी०/२०१८ दायर की गई, जिसमें मा० उच्च न्यायालय द्वारा अपने अनन्तिम आदेश दिनांक १५.०६.२०१८ के द्वारा प्रमुख अभियन्ता कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप दिनांक ०९.०६.२०१८ को स्थगित रखा गया है।

(५५०८६१) अतः मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक १५.०६.२०१८ के अनुपालन में प्रमुख अभियन्ता के कार्यालय ज्ञाप दिनांक ०९.०६.२०१८ एवं शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक १३.०८.२०१८ के द्वारा श्री प्रकाश चन्द्र तिवारी के किये गये स्थानान्तरण को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। श्री प्रकाश चन्द्र तिवारी अपने पूर्ववर्ती तैनाती के स्थान पर यथावत् बने रहेंगे।

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव

संख्या ११६१ / III(1) / १८-४६(अधि०) / ०९, टीसी-४(१), तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
२. अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
३. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
४. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-१ / स्तर-२, उत्तराखण्ड।
५. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
६. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
७. सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
८. गार्ड फाइल।

५.८.२०१८
(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव

1893
२१-०८-१८



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

E-Mail-eicpwdk@nic.in

Web- <http://pwd.uk.gov.in>

पत्रांक:- 1893 / 35व्यक्ति-सा० / 18

दिनांक:- २१ / ०८ / २०१८

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित नियत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी की कार्यमुक्ति/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता ए०डी०वी०, लो०नि०वि०, देहरादून।
2. संबंधित कोषाधिकारी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, ए०डी०वी० वृत्त, लो०नि०वि०, पिथौरागढ़।
4. अधिशासी अभियन्ता, ए०डी०वी० खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल / बागेश्वर।
5. श्री प्रकाश चन्द्र तिवारी, सहायक अभियन्ता, ए०डी०वी० खण्ड, लो०नि०वि०, नैनीताल।
6. आई०टी० हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून को वेब साइट पर अपडेट करने हेतु।
7. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली।

21/08/18

१६/८/१८

C.E.(146) ५५०(८)

१६/८

२४५६

२४५६/१८/१८

उत्तराखण्ड शासन

लोक निर्माण अनुभाग-१

संख्या— /III(1)/18-46(अधि०)/०९, टीसी-४(१)

देहरादून, दिनांक १५ अगस्त, 2018

—: कार्यालय ज्ञाप :—

*(1198)
५५०(८)
८०(८)*
 लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1155/ १११(१)/ १८-
 ४६(अधि०)/०९ टीसी०-४(१), दिनांक १३.०८.२०१८ के द्वारा श्री सुरेश चन्द्र जोशी, सहायक अभियन्ता का
 स्थानान्तरण क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा से निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
 रानीखेत में किया गया है। श्री सुरेश चन्द्र जोशी द्वारा अपने स्थानान्तरण के विरुद्ध मा० उच्च
 न्यायालय में रिट याचिका संख्या-२३१/एस०बी०/२०१८ दायर की गई, जिसमें मा० उच्च न्यायालय
 द्वारा दिनांक १५.०६.२०१८ को निर्णय पारित करते हुये आदेश दिये हैं कि याची के प्रत्यावेदन का
(निस्तारण ०८ सप्ताह के भीतर किया जाय, तब तक प्रमुख अभियन्ता कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप
दिनांक ०८.०६.२०१८ को स्थगित रखा गया है।

(अनुपालन द्वारा किया गया है)

अतः मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक १५.०६.२०१८ के अनुपालन में प्रमुख अभियन्ता के
 कार्यालय ज्ञाप दिनांक ०८.०६.२०१८ एवं शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक १३.०८.२०१८ के द्वारा श्री सुरेश
 चन्द्र जोशी के किये गये स्थानान्तरण को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। श्री सुरेश चन्द्र
 जोशी अपने पूर्ववर्ती तैनाती के स्थान पर यथावत् बने रहेंगे।

(महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून)

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव

संख्या ११७/III(1)/१८-४६(अधि०)/०९, टीसी-४(१), तददिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित।

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-१/स्तर-२, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
- सम्बन्धित अभियन्ता (नाम से)।
- गार्ड फाईल।

(ट्रैकिं नं.)

(ट्रैकिं नं.)

२०/८/१८

१०१७

४४८

प्रदीप सिंह
अपर सचिव

1892
२१-०८-१८



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

E-Mail-eicpwd.uk@nic.in

Web- <http://pwd.uk.gov.in>

पत्रांक:- 1892 / 35व्यक्ति-साठ / 18

दिनांक: २१ / ०८ / २०१८

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित नियन्त्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो०नि०वि०, टिहरी।
2. संबंधित कोषाधिकारी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, शहड़ीस्थेतु।
5. श्री सुरेश चन्द्र जोशी, सहायक अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो०नि०वि०, टिहरी।
6. आई०टी० हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून को वेब साइट पर अपडेट करने हेतु।
7. गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली।

[Signature]
21/08/18
अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो०नि०वि०, देहरादून
ज्ञान प्रदान करने वाला
कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-1
संख्या— / III(1)/ 18-46(अधिः) / 09, टीसी-04
देहरादून, दिनांक 16 अगस्त, 2018

प्राप्ति
16-08-18

— कार्यालय ज्ञाप :-

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निर्माण खण्ड, बैजरों में सहायक अभियन्ता के स्वीकृत 04 पदों के सापेक्ष सहायक अभियन्ता कार्यरत न होने के दृष्टिगत निम्नलिखित प्रभारी सहायक अभियन्ता को विभागीय कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुये तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-4 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	टिप्पणी
1	2	3	4	
1.	श्री वृजेन्द्र सिंह ठाकुर, प्रभारी सहायक अभियन्ता।	निर्माण खण्ड, ए०डी०वी०, ल००नि०वी०, रुद्रपुर।	निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बैजरों।	स्वीकृत सहायक अभियन्ता के 02 पदों के सापेक्ष 03 कार्यरत। खण्ड में अधिकतम अवधि से कार्यरत सहायक अभियन्ता।

2. सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये विना योगदान देना सुनिश्चित करें।

3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

4. सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्राति इस आशय से प्रेपित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव

संख्या 1172 / III(1) / 18-46(अधिः) / 09, टीसी-4, तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित।

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता।
- सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(प्रदीप मोहन नौटियाल)
अनु सचिव

1880
20-08-18



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

E-Mail-eicpwd@nic.in

Web- <http://pwd.uk.gov.in>

पत्रांक:- 1880 / 35व्यक्ति-सा० / 18

दिनांक:- २०/८/२०१८

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थी एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित शिक्षा संस्थानान्तरित अधिकारी की कार्यमुक्ता/योगदान की सूचना तत्काल फैक्स/ई-मेल के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. मुख्य अभियन्ता, ए०डी०वी० / क्षेत्रीय कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून / पौड़ी।
2. संबंधित कोषाधिकारी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, ए०डी०वी० / १२वां वृत्त, लो०नि०वि०, पिथौरागढ़ / पौड़ी।
4. अधिशासी अभियन्ता, ए०डी०वी० / निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रुद्रपुर / बैजरों।
5. श्री बृजेन्द्र सिंह ठाकुर, प्रभारी सहायक अभियन्ता, ए०डी०वी० खण्ड, लो०नि०वि०, रुद्रपुर।
6. आई०टी० हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून को वेब साइट पर अपडेट करें।
7. गार्ड / व्यक्तिगत पत्रावली।

20/८/१८
प्रभारी हैड, अभियन्ता ए०डी०वी०
विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड
दोष नहीं